

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चाण्डिल ।

अनुसूची फार्म सं०-662

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश फलक

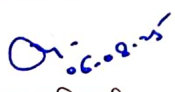
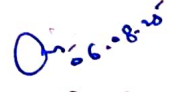
जिला- सरायकेला-खरसावाँ

अनुमण्डल- चाण्डिल

अंचल- चाण्डिल

केस का प्रकार- जमाबंदी दर्ज करने के संबंध में।

अभिलेख सं०- 57 / 25-26

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																		
1	2	3																		
	अभिलेख का संधारण राजस्व उप निरीक्षक श्री सुरेश मुण्डा एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री मनोज कुमार महतो के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्यामली कुमारी के द्वारा परिशोधन पोर्टल में शिकायत सं०- PRI240602032879318205729111317874, दिनांक- 29.07.2025 के द्वारा मौजा- पुड़िसिली, खाता सं०- 160, प्लॉट सं०- 229 अन्तर्गत भूमि कम्प्यूटराईजेशन के दौरान निम्न आवेदित भूमि का छुटे हुए जमाबंदी की ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में जाँच किया गया। जाँचोपरान्त प्रतिवेदित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क०</th><th>मौजा/थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा (डी० में)</th><th>पंजी II रैयत का नाम</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>पुड़िसिली/328</td><td>160</td><td>229</td><td>5.77</td><td>श्रीमति श्यामली कुमारी, पति- श्री शैलेज कुमार एवं श्रीमति गायत्री देवी, पति- दीनानाथ श्रीवास्तव, ना०मु०सं०- 415/12-13 के अनुसार</td></tr> </tbody> </table> उक्त भूमि का जमाबंदी पंजी II में संधारित नहीं पाया गया। कार्यालय में उपलब्ध नामांतरण अभिलेख से मिलान करने पर पाया गया कि मौजा- पुड़िसिली, खाता सं०- 160, प्लॉट सं०- 229 रकबा- 5.77 डी० भूमि ना०मु०सं०- 415/12-13 में श्रीमति श्यामली कुमारी, पति- श्री शैलेज कुमार एवं श्रीमति गायत्री देवी, पति- दीनानाथ श्रीवास्तव के नाम पर दर्ज है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, नामांतरण शुद्धि पत्र की प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने हेतु अनुशंसा किया गया है। अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त भूमि का ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है। लेखापित  अंचल अधिकारी चाण्डिल।  अंचल अधिकारी, चाण्डिल।	क०	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (डी० में)	पंजी II रैयत का नाम	1	2	3	4	5	6	1	पुड़िसिली/328	160	229	5.77	श्रीमति श्यामली कुमारी, पति- श्री शैलेज कुमार एवं श्रीमति गायत्री देवी, पति- दीनानाथ श्रीवास्तव, ना०मु०सं०- 415/12-13 के अनुसार	
क०	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (डी० में)	पंजी II रैयत का नाम															
1	2	3	4	5	6															
1	पुड़िसिली/328	160	229	5.77	श्रीमति श्यामली कुमारी, पति- श्री शैलेज कुमार एवं श्रीमति गायत्री देवी, पति- दीनानाथ श्रीवास्तव, ना०मु०सं०- 415/12-13 के अनुसार															